



Government of India
Ministry of Textiles
OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER
 7th & 8th Floor, Patsan Bhawan
 CF Block, Action Area – I
 New Town, Kolkata- 700156

No. Jute (Mktg)/ 106/ 2018

Dated: 24-09-2025

ORDER

After giving consideration to factors enumerated in Clause 5 and 6(2) & in exercise of the powers conferred on me by Clause 6(1) (iii) & Clause 5 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I, Moloy Chandan Chakraborty, Jute Commissioner, hereby direct that at no point in time you will hold more than the quantity of raw jute on your own account and / or on account of third parties mentioned in the table below:

	Category of raw jute stockists/jute mills	Maximum quantity of raw jute to be held
(a)	(b)	(c)
1	Stockists who are raw jute balers and having raw jute Baling Press in the same premises.	2000 Quintals
2	All other categories of stockists of raw jute.	300 Quintals
3	Jute Mills / Manufacturing units of Jute Goods from raw jute	45 days consumption as per current production rate.

2. I further direct you to sell the quantity of raw jute if it is in excess of the quantity mentioned in column (c) corresponding to the category of raw jute traders mentioned at column (b) being held by you within 15(fifteen) days from the date of this Order and physically deliver the same to the consignee within 20th October 2025 and to send a compliance report indicating sale / delivery of the excess quantity of raw jute along with supporting documentary evidence for verification by email (jcoffice@jutecomm.gov.in) immediately. If you are holding stock excess to the above limit, purchase of fresh stock shall be stopped forthwith till stock comes below the above mentioned limit.

3. I further direct you to declare/update the stocks held by you through weekly report every Friday on the Jute SMART portal accessible through http://jutecomm.gov.in/Jute_Smart.html.

4. Raw jute stocked in a single premise irrespective of being in different names of such traders/stockists etc will be considered as total single stock for the purpose of interpretation of this Order except when such jute is stocked in a Commercial godown and such traders/stockists are able to produce separate trade license, separate PAN, separate registration with JC office and also separate rent agreement/receipt for godown rent all together and collectively.

4. If you have contracted the sale of raw jute stock, the stock held by seller shall be considered to be held by the **seller** until the same is **physically delivered** to the buyer.
5. If you fail to comply with the provisions of this Order, you shall be punishable under clause 11 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 read with Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955 which provides for imprisonment and fine.
6. This Order shall come into force with immediate effect and remain valid till further orders subject to reservation of right to modify the same at any point of time.
7. I further state that this Order shall not be applicable to Jute Corporation of India Ltd. However, the stock held by the jute mills sold by Jute Corporation of India Ltd. shall be covered by the stock limits.
8. Further, in pursuance of sub-clause (b) and (c) of clause 9(1) of the aforesaid Order, I direct to afford necessary facilities to my authorized representatives and State Police officials to enter and search their premises including the godowns and also to inspect their books and other records under their possession with a view to verifying whether or not stocks held by them have been correctly declared or not in response to this Order & also to seize raw jute which he/she has reason to believe to have been stored in contravention to this order& to take any other legal action within provisions of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 and Essential Commodities Act, 1955.

Digitally signed by
Moloy Chandan Chakrabortty
Date: 24-09-2025 17:13:57
(Moloy Chandan Chakrabortty)
Jute Commissioner

To:

(All balers/traders/dealers/agencies/stockists of raw jute)

(All Jute Mills /Manufacturing Units of jute products from raw jute)



भारत सरकार / Government of India
वस्त्र मंत्रालय / Ministry of Textiles
पटसन आयुक्त का कार्यालय / Office of the Jute commissioner
पटसन भवन, सीएफ ब्लॉक / Patsan Bhawan, CF Block,
सातवां व आठवां तल, एक्शन एरिया-I / 7th & 8th Floor, Action Area-I
न्यूटाउन, कोलकाता / Newtown, Kolkata – 700156

फाइल संख्या : पटसन(विपणन)/106/2018

दिनांक: 24.09.2025

आदेश

पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 6(1) (iii) और खंड 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खंड 5 एवं 6(2) में उल्लिखित कारकों पर विचार करने के उपरांत मैं, मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि आप किसी भी समय अपने स्वयं के खाते में और/ या तीसरे पक्ष के खाते में कच्चे जूट की मात्रा नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित मात्रा से अधिक नहीं रखेंगे :-

	कच्चे जूट के स्टॉकिस्ट/जूट मिलों की श्रेणी	कच्चे जूट की अधिकतम मात्रा रखी जाएगी
(क)	(ख)	(ग)
1	ऐसे स्टॉकिस्टजो कच्चे जूट के बेलर हैं और जिनके एक ही परिसर में कच्चा जूट बेलिंग प्रेस है।	2000 क्विंटल
2	कच्चे जूट के स्टॉकिस्ट की अन्य सभी श्रेणियाँ	300 क्विंटल
3	कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाली निर्माण इकाईयाँ/जूट मिल	चालू उत्पादन दर के अनुसार 45 दिनों की खपत

2. मैं आगे निर्देश देता हूँ कि अगर यह धारित किए जा रहे कॉलम (बी) में उल्लिखित कच्चे जूट व्यापारियों की श्रेणी के अनुरूप कॉलम (सी) में उल्लिखित मात्रा से अधिक होती है तो इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर कच्चे जूट की अतिरिक्त मात्रा को बेच दें और 20 अक्टूबर, 2025 के भीतर परेषिती (कन्साइनी) को उक्त मात्रा की डिलीवरी वास्तविक रूप से करें तथा उसके तुरंत बाद सत्यापन के लिए समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कच्चे जूट की अधिक मात्रा की बिक्री/डिलीवरी का उल्लेख करते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट ईमेल (jcoffice@jutecomm.gov.in) द्वारा हमें भेजें। अगर आपके पास उपर्युक्त सीमा से ज्यादा स्टॉक है, तो नए स्टॉक की खरीद तुरंत रोक दें जब तक कि स्टॉक उल्लिखित सीमा से नीचे न आ जाए।

3. मैं आगे निर्देश देता हूँ कि आप अपने धारित स्टॉक को जूट स्मार्ट पोर्टल पर हरेक शुक्रवार को साप्ताहिक रिपोर्ट के द्वारा घोषित /अद्यतित करें जो http://jutecomm.gov.in/Jute_Smart.html माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

4. एक परिसर में स्टॉक किए गए कच्चे जूट को, चाहे ऐसे व्यापारियों/स्टॉकिस्टों के नाम भिन्न भिन्न क्यों न हो, इस आदेश की व्याख्या के प्रयोजनार्थ एक ही स्टॉक माना जाएगा, ऐसे अपवाद को छोड़कर जब उक्त जूट को एक वाणिज्यिक गोदाम में स्टॉक किया जाता हो और व्यापारी/स्टॉकिस्ट पृथक व्यापार लाइसेंस, पृथक पैन, पटसन आयुक्त के कार्यालय के साथ अलग पंजीकरण और गोदाम किराए के लिए अलग किराया अनुबंध/रसीद सभी एक साथ और सामूहिक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम हों।

....2/-

5. यदि आपने कच्चा जूट स्टॉक की बिक्री के लिए संविदा निष्पादित की है तो जबतक यह खरीदार को भौतिक रूप से सुपुर्द नहीं कर दिया जाता तबतक विक्रेता द्वारा धारित स्टॉक विक्रेता का धारित स्टॉक समझा जाएगा।

6. यदि आप इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पाते हैं तो आप पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 11 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत दंडनीय होंगे, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और किसी भी समय इसे संशोधित करने के अधिकार के तहत अगले आदेश तक वैध माना जाएगा।

8. मैं आगे यह भी निर्देश देता हूँ कि यह आदेश भारतीय जूट निगम द्वारा खरीदे गए कच्चे जूट के स्टॉक पर लागू नहीं होगा। हालांकि यह आदेश जूट मिलों द्वारा रखे गए उस स्टॉक जो भारतीय पटसन निगम द्वारा बेचा गया है, पर लागू होगा।

9. इसके अलावा, उपर्युक्त आदेश के खंड 9(1) के उप-खंड (बी) और (सी) के अनुसरण में, मैं राज्य पुलिस अधिकारियों तथा अधिकृत प्रतिनिधियों को परिसरों सहित गोदामों में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए तथा इस आदेश के जवाब में उनके द्वारा रखे गए स्टॉक को सही ढंग से घोषित किया गया है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए उनके कब्जे के अधीन उनके बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा पूर्व में जारी किए गए और फिलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के अनुपालन की जांच करने एवं कच्चे जूट को जब्त करने का जिसके बारे में उनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे इस आदेश या जारी किए गए और फिलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के उल्लंघन में संग्रहित किया गया है तथा पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत अन्य कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, मैं सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निदेश देता हूँ।

S/d

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित
दिनांक 24.09.2025 17:13:57
(मलय चंदन चक्रवर्ती)
पटसन आयुक्त

सेवा में,
(कच्चे जूट के सभी बेलर/व्यापारी/डीलर/एजेंसी/स्टॉकिस्ट)
(सभी जूट मिलें/कच्चे जूट से जूट वस्तुएं बनाने वाली निर्माण इकाईयाँ)

